



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273779
CG-DL-E-24062026-273779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3167]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/ आषाढ 1, 1948

No. 3167]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ ASHADHA 1, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2026

का.आ. 3296(अ).— केंद्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उपधारा (१) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. २९३५(अ) तारीख. ३०/०६/२०२५ जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-२, खंड-३, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ सी के कि.मी ४३.७ से कि.मी. ९७.२ (सातारा-म्हसवड -टेम्भूर्णी रोड) तक के भूखंड के निर्माण(चौड़ा करणे / २ लेन पेव्ड शोल्डर/४-लेन का बनाना, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३क की उपधारा (३) के अधीन का.आ.२९३५(अ) तारीख. ३०/०६/२०२५ में "दैनिक लोकमंथन" और "दैनिक प्रीतिसंगम" (मराठी और अंग्रेजी) दोनों तारीख १३/१०/२०२५ में प्रकाशित किया गया था;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा ३-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ घ की उपधारा (२) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है. कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ सी के कि.मी. ४३.७ से कि.मी. ९७.२ (सातारा-म्हसवड - टेम्भूर्णी रोड) खंड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: सातारा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: माण					
गांव का नाम: महिमानगड					
1	१६२	निजी	शुष्क	0.28	जयंत साहेबराव जाधव , अभिजित साहेबराव जाधव, आशालता प्रशांत मुळे, कुमुदिनी हणमंत कदम, सुमन साहेबराव जाधव सहकारी सोसायटी इकरार 162
Total				0.28	

[फा.सं. 12037/1/2017-MAH(P-6)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 2026

S.O. 3296(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways. **S.O. 2935 (E) Dated 30/06/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-Section (ii) Issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for **Construction of (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of National Highway 548 C in the stretch of land from Km. 43.7 to Km. 97.2 (Satara- Mhaswad-Tembhurni Road) in the District of Satara in the State of Maharashtra.**

And whereas the substance of the said notification **S.O. 2935 (E) Dated 30/06/2025** has been published in "**Dainik Lokmanthan**" and "**Dainik Pritisangam**" (**Marathi & English**) **Both are dated 13/10/2025**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately:

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the National Highway 548C in the stretch of land from Km. 43.7 to Km. 97.2 (Satara- Mhaswad-Tembhurni Road) in the District of Satara in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: Satara		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Man					
Village: Mahimangadh					
1	162	Private	Dry	0.28	Jayant Sahebrao Jadhav , Abhijit Sahebrao Jadhav, Ashalata Prashant Mule, Kumudini Hanmant Kadam, Suman Sahebrao Jadhav Cooperative Society Agreement 162
Total				0.28	

[F. No. 12037/1/2017-MAH(P-6)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director